<u>न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर</u>

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 11/2025

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ

................प्रार्थी

बनाम

मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री अमननूर जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक राजस्थान

...........अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री राधेश्याम मालाकार अभिभाषक प्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सुपुर्दगीनामा धारा 497 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत</u>

<u>आदेश</u>

दिनांक–30.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का ट्रक वाहन संख्या **RJ 51 GA 4063** को पुलिस थाना किशनगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व धारा 11 (1)(घ) 11 (1)(एफ) में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन की पुलिस थाना किशनगढ़ को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना किशनगढ में खुले में पड़ा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का उक्त वाहन **RJ 51 GA 4063** सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का ट्रक वाहन संख्या **RJ 51 GA 4063** को पुलिस थाना किशनगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व धारा 11 (1)(घ) 11 (1)(एफ) में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन की पुलिस थाना किशनगढ़ को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना किशनगढ में खुले में पड़ा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी

(लोकबन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन ट्रक वाहन संख्या RJ 51 GA 4063 को सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 18.06.2025 में अवगत कराया कि दिनांक 03.03.2025 को प्रार्थी नितेश सैनी पुत्र श्री राजू सैनी उम्र 25 साल जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, वार्ड नम्बर 14, मदनगंज किशनगढ पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर के द्वारा श्री राम गोशाला, श्रीनगर रोड ग्राम सिलोरा पर श्री उमराव भादू हैडकानि 421 को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उक्त कन्टेनर जिसके नम्बर RJ 51 GA 4063 जिसमें अवैध गोवंश भरकर ले जा रहे है जो कि अराई से किशनगढ होते हुये जयपुर जा रहा है जिसकी सूचना पर बडगांव टोल नाका के आगे सुप्रीम मेवात होटल के पास समय 12.40 ए.एम पर पहुंचे जहां उक्त ट्रक कन्टेनर नम्बर RJ 51 GA 4063 को रूकवाकर चैक किया तो उसमें 44 अवैध गोवंश भरे हुये थे जिनके पैर व मुंह बंधे हुये थे तथा कंटेनर में ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति बैठे हुये थे जिनको पकड़ने पर पूछा तो चालक नाम मौ. हुसैन व उसके दो अन्य व्यक्ति मेवाराम व आसाराम नाम बताया जिनसे गौवंश ले जाने के कागजो के बारे में पूछा तो कोई कागज नहीं होना बताया उक्त व्यक्तियो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की गई व मुकदमा नम्बर 40/2025 अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व धारा 11 (1)(घ) 11 (1)(एफ) पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा वाहन ट्रक कन्टेनर नम्बर RJ 51 GA 4063 के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है, वाहन के सबंध में पंजीकृत वाहन स्वामी से भी अनुसंधान किया जा चुका है तथा उपरोक्त जब्तशुदा वाहन के सबंध में अन्य कोई अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मुल्जिमात के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व धारा 11 (1)(घ) 11 (1)(एफ) पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में जप्तशुदा ट्रक वाहन संख्या RJ 51 GA 4063 रजिस्ट्रेशन का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक वाहन संख्या RJ 51 GA 4063 से सम्बन्धित तफ्दीश पूर्ण हो चुकी होना थानाधिकारी किशनगढ ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। जब्तशुदा गौवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दुगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व धारा 11 (1)(घ) 11 (1)(एफ) पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6-क का अन्तःस्थापन किया गया है

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौ वंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस वाहन को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन **RJ 51 GA 4063** का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक वाहन संख्या **RJ 51 GA 4063** को रूपये 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ़ जिला–अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर उक्त ट्रक वाहन संख्या **RJ 51 GA 4063** की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,अजमेर